न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—176/10 (2010/00075) वाद पत्र

उनवान

1—लच्छु पिता हमीरा गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1/1—कंकु पत्नि लच्छु गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—केला पिता हमीरा गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2/1—भैरू पुत्र केला गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2/2—नारायणी पुत्री केला गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2/3—रेखा पुत्री केला गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2/4—लेहरी पत्नि केला गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—अमरा पिता हमीरा गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—भवाना पिता भज्जा गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1/1—अम्बालाल पिता भवाना गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/2—फेफी पत्नि भवाना गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/3—जेतु पुत्री भवाना गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—उदा पिता भज्जा गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—दीपा पिता प्रताप गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—प्यारा पिता प्रताप गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—मूला पिता प्रताप गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—नाथु पिता प्रताप गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—नानुड़ी पुत्री मियाराम पत्नि कालु गुजर निवासी सबलोंकाखेड़ा तह0 आमेट जि0 राजसंमद

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जगदीशचन्द्र व्यास, जाकिर हुसैन — **अधिवक्ता वादीगण**
2. सीएम सिसोदिया, बापनाजी — **अधिवक्ता प्रतिवादीगण**

निर्णय

दिनांक 20.02.2020

पत्रावली आज में पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगणों के मौरूसी भूमियों के ग्राम चारोट तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे स्थित आराजी संख्या 583/1 रकबा 2 बिघा 2 बिस्वा, आराजी संख्या 584/1, रकबा 3 बिघा 11 बिस्वा, आराजी संख्या 648/1 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा, आराजी संख्या 651/2 रकबा 6 बीघा, आराजी संख्या 651/4 रकबा 6 बिघा, आराजी संख्या 661/2 रकबा 2 बिघा 5 बिस्वा, आराजी संख्या 662/3 रकबा 2 बिघा 13 बिस्वा, आराजी संख्या 663/3 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, आराजी संख्या 612/2 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, आराजी संख्या 706 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 690 रकबा 6 बिस्वा, आराजी संख्या 694 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, आराजी संख्या 695 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, आराजी संख्या 697 रकबा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 698 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, आराजी संख्या 701 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 704 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, आराजी संख्या 705 रकबा 1 बीघा, कुल

किता 18 कुल रकबा 51 बिघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है। वाद पत्र की कलम नम्बर 1 में वर्णित भूमिया संवत 1984 में प्रतिवादी सख्या 1, 2, 7 व हम वादीगणों के पिता के नाम पर रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज थी। संवत 2018 में प्रतिवादी सं0 3, 4, 5, 6 के पिता प्रताप ने हम वादीगणों के पिता को गोद जाना बताकर व मियाराम के कोई ओलाद नही होना जाहीर कर रेवेन्यु रेकार्ड से हम वादीगणों के पिता हमीरा व प्रतिवादी संख्या 7 नानुड़ी के पिता मियाराम का नाम हटवाकर पुरी भूमिया अपने नाम रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज करवा ली जो कानुनन सर्वथा गलत है। सवंत 2020 में मियाराम व हमीरा का खाता प्रताप, भवाना, उदा के नाम पर आ0न0 690, 694, 695, 697, 698, 701, 704, 705, इन्तकाल नम्बर 95 दिनांक 21.03.64 को कर दिया व इस खाता संख्या 52 का खाता संख्या 79 में मिला दिया गया जबकि हम वादीगण हमीरा के जायन्दा पुत्र है तथा मियाराम के मुस नानुड़ी पुत्री है फिर भी प्रतिवादीगणों ने जानबुझ कर हमारे पिता की भूमियां अपने नाम पर करवा ली उस समय हम वादीगण नाबालिक थे। वादपत्र की कलम नम्बर 1 वर्णित भूमियों में वादीगणो का 1/3 हिस्सा मुस नानुड़ी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण भवाना, उदा, दीपा, प्यारा, मूला, नाथू का 1/3 हिस्सा होकर सामलाती रूप से काबिज हो काश्त करते आ रहे है। वाद पत्र 1 में वर्णित भूमियों में वादीगणों के नाम 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित कराया जाय व 1/3 हिस्सा प्रतिवादी मुस नानुड़ी का हिस्सा दर्ज कराया जावे। व शेष 1/3 हिस्सा अन्य प्रतिवादीगणो का घोषित कराया जाय।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 05.07.2010 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवागणो ने अपने जवाब में अंकन किया कि वाद पत्र की कलम नम्बर 1 में वर्णित आराजियात ग्राम चारोट में होना स्वीकार है शेष कथन अस्वीकार है क्योकि वादीगण के पिता हमीरा गुजर लाला गुर्जर के गोद चले जाने से उक्त आराजियात में कोई हिस्सा बाकी नही रहा। वादीगणो द्वारा वादपत्र में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का सजरा है जो गलत बनाया जाने से अस्वीकार है क्योंकि सजरे में हमीरा को नन्दा का पुत्र बताया है जबकि हमीरा गोद चला गया था इसलिये नन्दा जी के हिन्दु संयुक्त परिवार की सम्पति में नही रहा। वाद पत्र की कलम नम्बर 4 सर्वथा गलत अंकित करने से अस्वीकार है। हमीरा गोद जाना गलत नही बताया वास्तव में वह लाला गुजर के गोद गया ओर गोद जाने से उनका अधिकार लाला की सत्पति में हो गया ओर अपने पिता की सम्पति में उसका कोई अधिकार नही रहा मियाराम के कोई पुरूष ओलाद नही है। ओर नानुड़ी ने स्वयं ने ही उक्त भूमियो ने अपना हिस्सा अन्य प्रतिवादीगण के पक्ष में तर्क कर दिया उसका विवाह सबलाकाखेड़ा हुआ है ओर अभी वही रहती है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिकार अधिनियम के तहत् भी नानुड़ी का हिस्सा नही बनता है क्योकि मियाराम संवत 2007 में ही फोत हो गया था इस प्रकार कलम नम्बर 1 में वर्णित जायदाद के हकदार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 ही है। वाद पत्र में जहां तक माना के लाऔलाद फोत होने का प्रश्न है स्वीकार है शेष कथन को अस्वीकार किया। माना के लाऔलाद फोत होने की सुरत में प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 ही माना की सम्पति के अधिकारी है वादीगण का उसमें कोई हिस्सा नही है। वादीगण के पिता हमीरा लाला के गोद चला गया ओर लाला गुजर की जमीन उसकी मृत्यु के पश्चात् हमीर के नाम दर्ज हो गई संवत 2006 से 2028 की जमाबन्दी है जिसमें हमीर पिता लाला का नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है हमीर की मृत्यु पश्चात् उक्त भूमि हमीर के पुत्रो के नाम दर्ज हुई। जमाबन्दी संवत 2029 से 2032 पेश की। अन्य आराजी संख्या 686/1 रकबा 1 बीघा भी लाला पिता हमीरा के नाम दर्ज थी। जमाबन्दी

संवत 2025 से 2028 पेश की यह भूमि बाद में हमीरा के पुत्रो के नाम आ गई संवत 2029 से 2032 जमाबन्दी पेश की इस प्रकार हमीरा के लाला के यहां हिन्दु रितीरिवाज अनुसार एवं जातीय परम्पराओं के अनुसार गोद चले जाने से उसका अपने पैतृक परिवार में कोई अधिकार नही बचा, एवं उसके 1 पुत्र के रूप में उसने लाला के यहा सभी अधिकार प्राप्त कर लिये। यह है कि लाला गुजर के नाम पर गांव चारोट में 16 बीघा 6 बिस्वा जमीन थी। एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के कुल 51 बीघा 13 बिस्वा है लाला की जमीन का हकदार वादीगण है एवं हमारे संयुक्त परिवार की 51 बीघा 13 बिस्वा भूमि में वादीगण का न तो कोई हक है ओर न कोई अधिकार है। न कभी इस भूमि पर वादीगण काबिज रहे है। वादी ने यह वाद महज हम प्रतिवादीगण को जलील, परेशान एवं आर्थिक कष्ट पंहुचाने की गरज से किया है। वादपत्र की कलम नम्बर 1 में वर्णित भूमियां वर्षो से हमारे कब्जे में होकर इसको उपजाउ बनाने एवं विकास में हजारो रूपये एवं श्रम हम प्रतिवादीगण ने किया है। अतः वादीगण का वाद खारीज फरमाया जावें।

प्रकरण में दानों अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई–

वादी अधिवक्ता द्वारा अपने वाद के समर्थन में मुख्य रूप से यह भी कथन किया कि हिन्दु दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 6, 9, 10, 11 के अनुसरण में दिये गये व लिये गये दत्तक ही मान्य है दत्तक विलेख का लिखित में होना व उसका पंजीयन होना आवश्यक है। इस प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये पगड़ी का बान्धा जाना इस सम्बन्ध में निश्चायक नही है डब्ल्यु.एल.सी. 2013 (1) पेज 656 न्यायिक दृष्टान्त पेश किया साथ ही नामान्तरणकरण की कार्यवाही एक फिसकल प्रासिडिंग है राजस्व जमाबन्दी में गलत नामान्तरणकरण दर्ज हो जाने से किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है इसके सम्बन्ध में बंसत पाटिल वगैरा मोहन हीराचन्द शाह वगैरा 2015 (सुप्रीम कोर्ट) पेज 940 एवं एच लक्षमया रेडी वगैरा बनाम एलवैंकटेश रेडी वगैरा वगैरा 2015 (सुप्रीम कोर्ट) पेज 325 का न्यायिक दुष्टान्त पेश किया ओर इसी के साथ में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व आदेश 7 नियम 14 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा प्रकरण में साबिक नम्बरो का वाद पेश किया गया है उसके बाद भूप्रबन्ध होने से नवीन नम्बर कायम कर दिये है जिससे उक्त प्रकरण में वर्तमान जमाबन्दी नकल महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसको रेकार्ड पर लिया जाना न्यायोचित है। इस आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार फरमावे।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा बहस में मुख्य निवेदन किया कि एकबार कोई व्यक्ति किसी के गोद चला जाये तब उसे सिविल न्यायालय से गोद पुत्र न होना घोषित कर दिया जावे तो उसका गोद समाप्त हो जाता है किन्तु इस प्रकरण में यह स्थिति नही है सिविल कोर्ट से हमीरा का गोदनामा खारीज नही किया गया है। लाला की जमीने हमीरा के नाम पर आयी है इसलिये पैतृक सम्पति में हमीरा के वारीसान को कोई हिस्सा प्राप्त नही हो सकता है। इस आधार पर वादीगण का वाद खारीज फरमावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी ओर दोनो अधिवक्ताओ के द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो शामिल प्रत्रावली है।

प्रकरण में वाद ओर प्रतिवाद के आधार पर प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गई

1. आया वादपत्र की कलम 1 वर्णित भूमिया वादीगण व प्रतिवादीगण की मौरूसी भूमिया होकर वादीगण का 1/3 हिस्सा है – वादीगण

2. आया वादीगण वादपत्र की कलम 1 वर्णित भूमिया का 1/3 हिस्सा अपने नाम पर रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है – वादीगण

3. आया वादीगण के पिता हमीरा लाला के गोद चले जाने से वादपत्र की कलम 1 में वर्णित भूमियों में कोई अधिकार प्राप्त नही कर सकते है– प्रतिवादीगण

4. आया राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर होने से आवयक पक्षकार है जिसे पक्षकार नही बनाया गया जिससे वाद चलने योग्य नही है– प्रतिवादीगण

5. आया वाद का श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय का है – प्रतिवादीगण

6. दादरसी क्या होगी–

वादीगण एवं प्रतिवादीगणो द्वारा तनकीवार प्रस्तुत साक्ष्य सबुत पेश की गई जिसके आधार पर तनकीवार निर्णय इस प्रकार है–

1. आया वादपत्र की कलम 1 वर्णित भूमिया वादीगण व प्रतिवादीगण की मौरूसी भूमिया होकर वादीगण का 1/3 हिस्सा है – वादीगण

तनकी संख्या 1 को साबित कराने का भार वादीगण पर था वादीगण द्वारा अपनी साक्ष्य में मौखिक साक्ष्य में वादी स्वयं लच्छीराम PW1, लेहरू जाट PW2, रोड़ा गुर्जर PW3, नाहरसिंह PW4, हीरा गुर्जर PW5, भैरू गुर्जर PW6, पेमा गुर्जर PW7, के बयान कराये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 से 6 प्रदर्शित कराये वादीगण की ओर से लच्छीराम ने अपने बयान की जीरह में कहा कि नन्दा जी के 4 पुत्र हुए भज्जा मियाराम हमीर ओर माना थे भज्जा के 3 पुत्र हुए प्रताप भवाना ओर उदा प्रताप के 4 पुत्र हुए दीपा, प्यारा, मूला व नाथु हुए मियाराम के पुत्री नानुड़ी हुई हमीर के 3 पुत्र हुए जो वादीगण है ओर माना लाऔलाद फोत हुए मेरे पिता हमीर जी कही भी गोद नही गये है इस जमीन में हम वादीगण का तीसरा हिस्सा है हमारे पिता को गोद जाना बताकर हटा दिया जमाबन्दी 2045 से 2048 की पेश की जो EXP1 है ओर 2017 से 2020 की पेश की जो EXP2 है ओर जमावन्दी बन्दोबस्त संवत 1984 पेश की जो EXP3 है। इन्तकाल नम्बर 94 की नकल पेश की जो EXP4 है ओर इन्तकाल नम्बर 95 की नकल पेश की जो EXP5 है। यह बात गलत है कि नन्दा के जीवनकाल में हमीर को लाला जी के गोद रख दिया हो यह बात सही कि लाला जी की जमीन हमीर के नाम पर तो आया किन्तु गोद के हिसाब से नही आयी परन्तु रहन से आयी हमीर जी मेरे पिता है उनके खाते की जमीन पर कब्जा किसका मुझे पता नही लाला जी की जमीन मेरे पिता के नाम पर आयी हो तो मुझे पता नही मेरे पिता के बाद हमारे नाम आयी लाला जी की जमीन के बारे मे मैं कुछ नही जानता हुँ ओर मेरे नाम पर 10 बीघा जमीन है जो कहा से आयी जो मुझे याद नही। आगे कहा कि लाला जी जमीन मेरे पिता ने मोल खरीदी कागजात होंगे तो मैं सम्भालुंगा मुझे पता नही कागजात है या नही हमारे हिस्से की जमीन पर हमारा कब्जा है। लेहरू पिता हजारी जाट PW2 ने कहा कि मेरी जमीन विवादित जमीन के पड़ोस मे है हमीर लाला के गोद गया में नही जानता में लाला जी जमीन को नही जानता 3 भाईयो की ओलाद उसी जमीन पर काबिज है ओर कमा खा रहे है इनका 1/3 हिस्सा होगा तीनो के अलग अलग बंट है। नाहरसिंह PW4 ने अपने बयान में कहा कि में नन्दा जी को जानता हुँ विवादित जमीन में वादीगण काश्त करते है ओर जमीन पर मौके पर 3 बंट है जिसमें दक्षिण वाले वंट पर वादीगण का कब्जा है। नानुड़ी का वादीगण के बराबर का हिस्सा है व कब्जा है हमीरा गोद नही गया यह बात गलत है कि विवादित केवल जमीन पर प्रतिवादीगण का ही कब्जा हो वादीगण का भी कब्जा है। हीरा गुर्जर PW5 ने बयान में कहा कि यह बात गलत है कि हमीरा लाला के गोद गये हो लाला की जमीन पेमा पिता जवाना खा रहा है मौके पर 3 हिस्से कर रखे है। भैरू गुर्जर PW6 ने भी हीरा गुजर की ही बात दोहरायी। DW1 प्यारा पिता प्रताप गुजर ने अपने बयान में कहा कि वादीगण के द्वारा जो सजरा पेश किया जो सही है माना लाऔलाद फोत हो गया यह बात सही कि विवादित भूमि

वादी गण एवं प्रतिवादीगणों के बाप दादाओ के समय से चली आ रही है लाला हमारे खानदान में नही आता है। यह बात सही जो विवादग्रस्त जमीन नन्दा जी है इनके 4 लड़के हुए जिनका बराबर हिस्सा है लेकिन हमीरा गोद चले गये वादीगण का कब्जा नही है। पेमा पिता लाला गुर्जर PW7, ने अपने बयान मे कहा कि हमीरा जी लाला के गोद नही गये। वादीगण के द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में जमाबन्दी 2045 से 2048 की पेश की जो EXP1 है ओर 2017 से 2020 की पेश की जो EXP2 है ओर जमावन्दी बन्दोबस्त संवत 1984 पेश की जो EXP3 है। इन्तकाल नम्बर 94 की नकल पेश की जो EXP4 है ओर इन्तकाल नम्बर 95 की नकल पेश की जो EXP5 है। साथ ही जमाबन्दी 2042 से 2045 की पेश की जो EXP6 है जिसमें लाला की जमीन पेमा पिता लाला के नाम दर्ज है जिससे यह साबित हेाता है कि वादी के पिता हमीरा श्री लाला के गोद पुत्र नही होकर पेमा है। उपरोक्त रेकार्ड से प्रमाणित होता है कि वाद में वर्णित भूमि वादी एवं प्रतिवादीगणों के मूल पुरूष नन्दा के समय की होकर पैतृक भूमिया है नामान्तरणकरण 94 से मियाराम की बहु नाते जाने एवं उसकी ओलाद नही होने से भूमि भज्जा के वारिसान के नाम दर्ज हो गई जबकि मियाराम के 1 पुत्री नानुड़ी प्रतिवादी संख्या 7 है इसी प्रकार नामान्तरणकरण संख्या 95 से हमीर को गोद जाना बता कर एवं मियाराम को लाऔलाद फोत होना बताया तथा भज्जा भी फोत होने से तीनो भाईयो के नाम की भूमि भज्जा के वारीसान प्रताप भवाना उदा के नाम दर्ज की गई है जो विधि विरूद्व है। एवं अधिवक्ता वादी द्वारा बंसत पाटिल वगैरा मोहन हीराचन्द शाह वगैरा 2015 (सुप्रीम कोर्ट) पेज 940 एवं एच लक्षमया रेडी वगैरा बनाम एलवैंकटेश रेडी वगैरा वगैरा 2015 (सुप्रीम कोर्ट) पेज 325 का न्यायिक दुष्टान्त पेश किया जो इस प्रकरण पर लागु होता है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर तनकी नम्बर 1 का निर्णय बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी किया जाता है।

2. आया वादीगण वादपत्र की कलम 1 वर्णित भूमिया का 1/3 हिस्सा अपने नाम पर रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है – वादीगण

तनकी संख्या 2 को साबित कराने का भार वादीगण पर था वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में तनही नम्बर 1 को साबित कराया जा चुका है वाद में वर्णित भूमिया पैतृक है और तनकी नम्बर 2 एवं 1 का सम्बन्ध आपस में होकर एक दुसरे की पूरक है तनकी 1 निर्णय वादीगण के पक्ष में हो जाने से तनकी नम्बर 2 का निर्णय भी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी किया जाता है।

3. आया वादीगण के पिता हमीरा लाला के गोद चले जाने से वादपत्र की कलम 1 में वर्णित भूमियों में कोई अधिकार प्राप्त नही कर सकते है– प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 3 को साबित कराने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादीगणो द्वारा अपने समर्थन में DW1 प्यारा पिता प्रताप ने अपने बयान में कहा कि वादीगण के द्वारा जो सजरा पेश किया जो सही है माना लाऔलाद फोत हो गया यह बात सही कि विवादित भूमि वादी गण एवं प्रतिवादीगणों के बाप दादाओ के समय से चली आ रही है लाला हमारे खानदान में नही आता है। यह बात सही जो विवादग्रस्त जमीन नन्दा जी की है इनके 4 लड़के हुए जिनका बराबर हिस्सा है लेकिन हमीरा गोद चले गये जिससे वादीगण का कब्जा नही है। लाला मरे, उस समय मेरा जन्म नही था पगड़ी बाधंने की बात सुनी सुनाई कह रहा हुँ। DW2 पोखर पिता भुरा गुर्जर ने अपने बयान में कहा कि लाला की जमीन हमीर ने पेमा को सोंप दी पेमा काबिज है लाला की पगड़ी हमीरा बांधी ओर हमीरा को गोद रखा तब रजिस्ट्री करायी। विवादग्रस्त भूमि को मे नही जानता हुँ। मगना पिता रामलाल जाट ने अपने बयान में कहा कि विवादित भूमि बाप दादाओ के समय से चली आ रही है हमीरा लाला के यहां 80

वर्ष पहले गोद गये थे यह बात मेरे को हमीर बा ने कही थी। हरलाल पिता कालु माली के बयान कराये जिसमें कहा कि में इनके बाप दादाओ को जानता हुँ भज्जा मियाराम हमीरा ओर माना के पिता नाम नन्दा था माना लाऔलाद फोत हुआ मियाराम के लड़की नानुड़ी है ओर हमीरा के लड़के वादीगण है ओर भज्जा के लड़के प्रतिवादीगण है। हमीरा को लाला के यहा 40–50 वर्ष हो गये होंगे सुनी सुनाई बात कह रहा हुँ मैं मौजुद नही था यह सही है कि नन्दा जी जमीन पर वादीगण के हिस्से पर वादीगणो का कब्जा है ओर प्रतिवादीगण के हिस्से पर प्रतिवादीगणो का कब्जा है। इसके साथ ही जमाबन्दी संवत 2013 से 2016 पेश की जिसमें लाला जी जमीन हमीर के नाम दर्ज होने का हवाला है किन्तु यह जमीन हमीर के नाम पर किस दस्तावेज एवं किस नामान्तरण के जरिये हमीर के नाम दर्ज हुई ऐसा कोई रेकार्ड अपने तनकी के समर्थन में नही किया जिससे यह साबित होता हो लाला के नाम की भूमि हमीरा के नाम दर्ज हुई हो।

उपरोक्त विवरण के अनुसार तनकी नम्बर 3 प्रतिवादीगण साबित कराने असफल रहे जिसके आधार पर तनकी नम्बर 3 का निर्णय विरूद्व प्रतिवादी बहक वादी किया जाता है।

4. आया राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर होने से आवयक पक्षकार है जिसे पक्षकार नही बनाया गया जिससे वाद चलने योग्य नही है– प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 4 को साबित कराने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादीगणो द्वारा इस तनकी को वादीगणो के बयान से साबित कराया गया किन्तु यह प्रकरण विभाजन का न होकर खातेदारी घोषणा का वाद है जिसमें राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर को पक्षकार नही बनाने से वाद प्रभावित नही होता है इस सम्बन्ध में वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य या कोई न्यायिक दृष्टान्त पेश नही किया जिससे यह साबिक होता हो कि लेण्ड होल्डर को पक्षकार नही बनाने से वाद चलने योग्य नही है।

उपरोक्त विवरण के अनुसार तनकी नम्बर 4 प्रतिवादीगण साबित कराने असफल रहे जिसके आधार पर तनकी नम्बर 4 का निर्णय विरूद्व प्रतिवादीगण बहक वादीगण किया जाता है।

5. आया वाद का श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय का है – प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 5 को साबित कराने का भार प्रतिवादीगण पर था इस तनकी के समर्थन में प्रतिवादीगण के द्वारा किसी प्रकार कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही कह गई है श्री हमीरा जी को गोद जाने की बात प्रतिवादीगण कह रहे है मगर इस प्रकरण में प्रतिवादीगणों द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिससे स्पष्ट प्रमाणित होता हो कि हमीरा को लाला ने गोद रखा हो ऐसी कोई भी लिखापढ़ी प्रस्तुत न की गई यह प्रकरण खातेदारी अधिकारो की घोषणा का है न कि गोदनामा से सम्बन्धी, गोदनामे से सम्बधित वाद सुनवाई का अधिकार सविल न्यायालय का है एवं खातेदारी अधिकार की घोषणा का वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है ऐसी स्थिति में यह वाद खातेदारी का होने से इस न्यायालय को सुनवाई का पूर्ण अधिकार है प्रतिवादी इस तनकी को साबित कराने में असफल रहे जिसके आधार पर इस तनकी का निर्णय विरूद्व प्रतिवादी बहक वादी किया जाता है।

6. दादरसी क्या होगी–

उपरोक्त विवेचन एवं तनकीवार निर्णय के आधार पर तथा वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वादीगण अपने वादपत्र को सिद्व कराने मे सफल रहने के कारण वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित है साथ ही प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 151 आदेश 7 नियम 14 सीपीसी जिसमें अंकित किया कि दावा पेश करने के बाद भूप्रबन्ध होने से नये खसरा नम्बर दर्ज हो चुके है

जिनको रेकार्ड पर लिया जाकर वादीगण का वाद स्वीकार फरमावे इस प्रकरण में वर्तमान में साबिक नम्बर प्रभावित नही होकर नवीन नम्बर दर्ज हो चुके है साबिक नम्बरो के मिलान क्षेत्रफल के आधार पर नवीन खसरा नम्बर को रेकार्ड पर लिये जाने का आदेश दिया जाना भी न्यायोचित है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम चारोट तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे स्थित आराजी संख्या 583/1 रकबा 2 बिघा 2 बिस्वा, आराजी संख्या 584/1, रकबा 3 बिघा 11 बिस्वा, आराजी संख्या 648/1 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा, आराजी संख्या 651/2 रकबा 6 बीघा, आराजी संख्या 651/4 रकबा 6 बिघा, आराजी संख्या 661/2 रकबा 2 बिघा 5 बिस्वा, आराजी संख्या 662/3 रकबा 2 बिघा 13 बिस्वा, आराजी संख्या 663/3 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, आराजी संख्या 612/2 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, आराजी संख्या 706 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 690 रकबा 6 बिस्वा, आराजी संख्या 694 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, आराजी संख्या 695 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, आराजी संख्या 697 रकबा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 698 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, आराजी संख्या 701 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 704 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, आराजी संख्या 705 रकबा 1 बीघा, कुल किता 18 कुल रकबा 51 बिघा 13 बिस्वा भूमि के राजस्व ग्राम वाद दायरी बाद नवीन राजस्व ग्राम गोविन्दपुरा नवसृजित होने से उक्त साबिक नम्बरान के नवीन आराजी नम्बर 35 रकबा 0.4500 है0, आराजी नम्बर 53 रकबा 0.3200 है0, आराजी नम्बर 118 रकबा 0.6000 है0, आराजी नम्बर 129 रकबा 0.4300 है0, आराजी नम्बर 134 रकबा 0.3300 है0, आराजी नम्बर 169 रकबा 0.2100 है0, आराजी नम्बर 216 रकबा 0.3900 है0, आराजी नम्बर 227 रकबा 0.0100 है0, आराजी नम्बर 228 रकबा 0.5400 है0, आराजी नम्बर 229 रकबा 0.2200 है0, आराजी नम्बर 230 रकबा 0.1100 है0, कुल किता 11 रकबा 3.6100 है0 भूमि खाता संख्या 16 पर दीपा पिता प्रताप 1/2 मूला नाथु पिता प्रताप 1/2 दर्ज है। रहन बीओबी शाखा रायपुर हिस्सा दीपा पिता प्रताप का। इसी तरह आराजी नम्बर 51 रकबा 0.3200 है0, आराजी नम्बर 116 रकबा 0.6100 है0, आराजी नम्बर 130 रकबा 0.4300 है0, आराजी नम्बर 133 रकबा 0.5400 है0, आराजी नम्बर 152 रकबा 0.2400 है0, आराजी नम्बर 155 रकबा 0.2900 है0, आराजी नम्बर 166 रकबा 0.0400 है0, आराजी नम्बर 212 रकबा 0.0600 है0, आराजी नम्बर 220 रकबा 0.3600 है0, आराजी नम्बर 224 रकबा 0.4300 है0, कुल किता 10 रकबा 3.32 है0 भूमि खाता संख्या 4 पर उदा पिता भज्जा गुजर के नाम दर्ज है एवं आराजी नम्बर 52 रकबा 0.3200 है0, आराजी नम्बर 117 रकबा 0.6100 है0, आराजी नम्बर 131 रकबा 0.4300 है0, आराजी नम्बर 135 रकबा 0.4300 है0, आराजी नम्बर 153 रकबा 0.2500 है0, आराजी नम्बर 156 रकबा 0.2800 है0, आराजी नम्बर 164 रकबा 0.0600 है0, आराजी नम्बर 217 रकबा 0.3300 है0, आराजी नम्बर 219 रकबा 0.1100 है0, आराजी नम्बर 233 रकबा 0.3700 है0, आराजी नम्बर 231 रकबा 0.2600 है0, कुल किता 11 रकबा 3.45 है0 भूमि अम्बालाल पिता भवाना सुखी पुत्री भवाना फेफी पत्नि भवाना गुजर के नाम दर्ज है। जिसमें वादीगण को 1/3 हिस्से का एवं प्रतिवादीगण संख्या 7 को 1/3 हिस्से का तथा शेष 1/3 हिस्सा का प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–176/10 (2010/00075) वाद पत्र

उनवान

1–लच्छु पिता हमीरा गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1/1–कंकु पत्नि लच्छु गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–केला पिता हमीरा गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2/1–भैरू पुत्र केला गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2/2–नारायणी पुत्री केला गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2/3–रेखा पुत्री केला गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2/4–लेहरी पत्नि केला गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–अमरा पिता हमीरा गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–भवाना पिता भज्जा गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1/1–अम्बालाल पिता भवाना गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/2–फेफी पत्नि भवाना गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/3–जेतु पुत्री भवाना गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–उदा पिता भज्जा गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–दीपा पिता प्रताप गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–प्यारा पिता प्रताप गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–मूला पिता प्रताप गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–नाथु पिता प्रताप गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–नानुड़ी पुत्री मियाराम पत्नि कालु गुजर निवासी सबलोंकाखेड़ा तह0 आमेट जि0 राजसंमद

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम चारोट तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे स्थित आराजी संख्या 583/1 रकबा 2 बिघा 2 बिस्वा, आराजी संख्या 584/1, रकबा 3 बिघा 11 बिस्वा, आराजी संख्या 648/1 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा, आराजी संख्या 651/2 रकबा 6 बीघा, आराजी संख्या 651/4 रकबा 6 बिघा, आराजी संख्या 661/2 रकबा 2 बिघा 5 बिस्वा,

आराजी संख्या 662/3 रकबा 2 बिघा 13 बिस्वा, आराजी संख्या 663/3 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, आराजी संख्या 612/2 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, आराजी संख्या 706 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 690 रकबा 6 बिस्वा, आराजी संख्या 694 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, आराजी संख्या 695 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, आराजी संख्या 697 रकबा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 698 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, आराजी संख्या 701 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 704 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, आराजी संख्या 705 रकबा 1 बीघा, कुल किता 18 कुल रकबा 51 बिघा 13 बिस्वा भूमि के राजस्व ग्राम वाद दायरी बाद नवीन राजस्व ग्राम गोविन्दपुरा नवसृजित होने से उक्त साबिक नम्बरान के नवीन आराजी नम्बर 35 रकबा 0.4500 है0, आराजी नम्बर 53 रकबा 0.3200 है0, आराजी नम्बर 118 रकबा 0.6000 है0, आराजी नम्बर 129 रकबा 0.4300 है0, आराजी नम्बर 134 रकबा 0.3300 है0, आराजी नम्बर 169 रकबा 0.2100 है0, आराजी नम्बर 216 रकबा 0.3900 है0, आराजी नम्बर 227 रकबा 0.0100 है0, आराजी नम्बर 228 रकबा 0.5400 है0, आराजी नम्बर 229 रकबा 0.2200 है0, आराजी नम्बर 230 रकबा 0.1100 है0, कुल किता 11 रकबा 3.6100 है0 भूमि खाता संख्या 16 पर दीपा पिता प्रताप 1/2 मूला नाथु पिता प्रताप 1/2 दर्ज है। रहन बीओबी शाखा रायपुर हिस्सा दीपा पिता प्रताप का। इसी तरह आराजी नम्बर 51 रकबा 0.3200 है0, आराजी नम्बर 116 रकबा 0.6100 है0, आराजी नम्बर 130 रकबा 0.4300 है0, आराजी नम्बर 133 रकबा 0.5400 है0, आराजी नम्बर 152 रकबा 0.2400 है0, आराजी नम्बर 155 रकबा 0.2900 है0, आराजी नम्बर 166 रकबा 0.0400 है0, आराजी नम्बर 212 रकबा 0.0600 है0, आराजी नम्बर 220 रकबा 0.3600 है0, आराजी नम्बर 224 रकबा 0.4300 है0, कुल किता 10 रकबा 3.32 है0 भूमि खाता संख्या 4 पर उदा पिता भज्जा गुजर के नाम दर्ज है एवं आराजी नम्बर 52 रकबा 0.3200 है0, आराजी नम्बर 117 रकबा 0.6100 है0, आराजी नम्बर 131 रकबा 0.4300 है0, आराजी नम्बर 135 रकबा 0.4300 है0, आराजी नम्बर 153 रकबा 0.2500 है0, आराजी नम्बर 156 रकबा 0.2800 है0, आराजी नम्बर 164 रकबा 0.0600 है0, आराजी नम्बर 217 रकबा 0.3300 है0, आराजी नम्बर 219 रकबा 0.1100 है0, आराजी नम्बर 233 रकबा 0.3700 है0, आराजी नम्बर 231 रकबा 0.2600 है0, कुल किता 11 रकबा 3.45 है0 भूमि अम्बालाल पिता भवाना सुखी पुत्री भवाना फेफी पत्नि भवाना गुजर के नाम दर्ज है। जिसमें वादीगण को 1/3 हिस्से का एवं प्रतिवादीगण संख्या 7 को 1/3 हिस्से का तथा शेष 1/3 हिस्सा का प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 20.02.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

20.2.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.02.25 16:13:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: